



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फ़ैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक : /मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-8

दिनांक: 29.08.2019

विषय:- सेवानिवृत्त कार्मिकों पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयको/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 17.08.2019 को कारपोरेट मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

मुख्य अभियन्ता
(परि०एवंअनु०), पिटकुल
रूड़की/हल्द्वानी।

मुख्य अभियन्ता
(परियोजना), पिटकुल,
देहरादून/हल्द्वानी।

मुख्य अभियन्ता
प्रान्तीय भार निस्तारण केन्द्र,
पिटकुल, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता (परी०एवंपरि०),
पिटकुल, हल्द्वानी

मुख्य अभियन्ता
(जानपद)
पिटकुल, देहरादून।

कृपया दिनांक 17.08.2019 को सेवानिवृत्त कार्मिकों, पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता के सम्बन्ध में कारपोरेशन मुख्यालय में आयोजित की गयी मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्न: यथा उपरोक्त।

(ए०के० जुयाल)

उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)

पत्रांक 1216 /मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-8 तददिनांक : -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सहायक-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (मा०सं०)/(वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
4. समीक्षा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी।
5. उपमहाप्रबन्धक (सू०एवंप्रौ०), कारपोरेशन मुख्यालय, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया विषयगत पत्र को संलग्नक सहित कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।

संलग्न: यथा उपरोक्त।

(ए०के० जुयाल)

उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)

सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृतक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 17.08.2019 को कारपोरेट मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

बैठक में विभिन्न इकाईयों के कार्यालय अधीक्षकों/सम्बन्धित सहायकों के अतिरिक्त मानव संसाधन विभाग एवं वित्त विभाग के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए:-

1. श्री अशोक कुमार जुयाल, उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)
2. श्री गिरधारी लाल, वरिष्ठ लेखाधिकारी
3. श्री अजय शर्मा, लेखाधिकारी
4. श्री विजेन्द्र सिंह, लेखाकार

विभिन्न इकाईयों से प्राप्त निस्तारित/लम्बित प्रकरणों का विवरण एवं अद्यतन स्थिति:-

1. वित्त विभाग द्वारा निस्तारित/कोषाधिकारी को प्रेषित प्रकरण:-

क्र० सं०	सेवानिवृत्त/ मृतक कार्मिक का नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तिथि	इकाई का नाम	पेंशन प्रकरण की अद्यतन स्थिति	प्रकरण जिस स्तर पर लम्बित है मा०सं०अनुभाग द्वारा उस अनुभाग को दिये गये दिशा-निर्देश
1	2	3	4	5	6
1	श्री विजयपाल सिंह, टी०जी०-प्रथम (लाईन)	30.06.2018	परि०एवंअनु० खण्ड, हरिद्वार	पेंशन प्रकरण निस्तारित	-
2	श्री देव सिंह रावत, टी०जी०- II (ला०)	30.04.2018	परी०एवंपरी० खण्ड, हल्द्वानी	पेंशन प्रकरण निस्तारित	-
3	श्री बी०डी० जोशी, टी०जी०-प्रथम(लाईन)	31.03.2018	परि०एवंअनु० खण्ड, हल्द्वानी	पेंशन प्रकरण निस्तारित	-
4	श्री महेश चन्द्र आर्य, टी०जी०-प्रथम(लाईन)	31.05.2018	परि०एवंअनु० खण्ड, हल्द्वानी	पेंशन प्रकरण निस्तारित	-

वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन प्रकरण:-

क्र०सं०	सेवानिवृत्त/मृतक कार्मिक का नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तिथि	इकाई का नाम	पेंशन प्रकरण की अद्यतन स्थिति	मा०सं०अनुभाग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पवित्रा त्यागी, कार्या० अशी०-प्रथम	31.07.2018	परि०एवंअनु० जानपद खण्ड, रुड़की	पेंशन प्रकरण निदेशक लेखा हकदारी एवं पेंशन, देहरादून की Website पर Online Feeding प्रक्रियाधीन है।	प्रकरण को शीघ्र निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
2	श्री टी०एस० रौतेला, प्रशासनिक अधिकारी	31.03.2019	मानव संसाधन एवं प्रशासनिक अनुभाग, देहरादून	पेंशन प्रकरण निदेशक लेखा हकदारी एवं पेंशन, देहरादून की Website पर Online Feed कर दिया गया है।	प्रकरण को शीघ्र निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3	स्व0 श्री चन्दन सिंह मनराल, टी0जी0-प्रथम (लाईन)	06.01.2018 (मृतक)	परि0एवंअनु0 खण्ड, हरिद्वार	पेंशन प्रकरण निदेशक लेखा हकदारी एवं पेंशन, देहरादून की Website पर Online Feeding प्रक्रियाधीन है।	प्रकरण को शीघ्र निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
4	स्व0 श्री राजेश कुमार, कुशल श्रमिक	07.05.2018 (मृतक)	परि0एवंअनु0 खण्ड, देहरादून	पेंशन प्रकरण निदेशक लेखा हकदारी एवं पेंशन, देहरादून की Website पर Online Feeding प्रक्रियाधीन है।	प्रकरण को शीघ्र निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
5	स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता	24.01.17 (मृतक)	220 के0वी0 परिचालन एवं अनुरक्षण खण्ड हरिद्वार	पेंशन प्रकरण निदेशक लेखा हकदारी एवं पेंशन, देहरादून की Website पर Online Feeding प्रक्रियाधीन है।	प्रकरण को शीघ्र निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
6	श्री आर0के0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता	31.07.2018	परि0एवंअनु0 खण्ड, काशीपुर	पेंशन प्रकरण निदेशक लेखा हकदारी एवं पेंशन, देहरादून की Website पर Online Feed कर दिया गया है।	प्रकरण को शीघ्र निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

खण्ड/इकाई स्तर पर लम्बित प्रकरण:-

क्र0सं0	सेवानिवृत्त/ मृतक कार्मिक का नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तिथि	इकाई का नाम	पेंशन प्रकरण की अद्यतन स्थिति	मा0सं0अनुभाग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश
1	2	3	4	5	6
1	श्री रामप्रसाद, टी0जी0-प्रथम (लाईन)	30.09.2018	220 के0वी0 परि0एवंअनु0 खण्ड, झांझरा	पेंशन प्रकरण वित्त विभाग द्वारा दिनांक 06.02.2019 को आपत्तियों के निराकरण हेतु खण्ड कार्यालय को भेजा गया है।	आपत्तियों को शीघ्र निस्तारित कर प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
2	श्री धर्मपाल, टी0जी0-द्वितीय (लाईन)	31.07.2018	परि0एवंअनु0 खण्ड, रुड़की	पेंशन प्रकरण वित्त विभाग द्वारा दिनांक 09.08.2019 को आपत्तियों के निराकरण हेतु खण्ड कार्यालय को भेजा गया है।	आपत्तियों को शीघ्र निस्तारित कर प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
3	स्व0 श्री सरोप सिंह महर, कुशल श्रमिक	05.09.16	132 के0वी0 उपकेन्द्र, श्रीनगर	उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल के पत्रांक 1664 दिनांक 31.08.2018 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, परि0एवंअनु0 खण्ड, श्रीनगर को महाप्रबन्धक (विधि) एवं कम्पनी सचिव, पिटकुल से विधिक राय प्राप्त कर	आपत्तियों को शीघ्र निस्तारित कर प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।


				तदानुसार प्रकरण को निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके अनुक्रम में महाप्रबन्धक (विधि) एवं कम्पनी सचिव, पिटकुल से प्रकरण में विधिक परामर्श किया जा रहा है।	
4	श्री छोटे लाल राणा, कार्यालय अधीक्षक-वि०श्रे०	31.01.2018	परि०एवंअनु० खण्ड, सितारगंज।	पेंशन प्रकरण वित्त विभाग द्वारा दिनांक 27.05.2019 को आपत्तियों के निराकरण हेतु खण्ड कार्यालय को भेजा गया है।	पेंशन प्रपत्र जमा करने हेतु कार्मिक को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।
5	श्री विनोद कुमार शर्मा सहायक अभियन्ता	31.10.2018	400 के०वी० परि०एवंअनु० खण्ड, ऋषिकेश	कार्मिक द्वारा पेंशन प्रपत्र कार्यालय में जमा नहीं किये गये हैं तथा विभागीय आवास भी रिक्त नहीं किया गया है।	पेंशन प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने तथा विभागीय आवास रिक्त किये जाने हेतु कार्मिक को पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
6	श्री कृष्ण कुमार, वाहन चालक	31.10.2018	परि०एवंअनु० जानपद खण्ड, रूडकी	पेंशन प्रकरण वित्त विभाग द्वारा दिनांक 14.08.2019 को आपत्तियों के निराकरण हेतु खण्ड कार्यालय को भेजा गया है।	आपत्तियों को शीघ्र निस्तारित कर प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०), पिटकुल द्वारा बैठक में उपस्थित सभी कार्मिकों को उनके कार्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं:-

- सम्बन्धित कार्यालय में तैनात समस्त संविदाकार्मियों की जन्मतिथि की सूचना 07 दिनों के अन्दर मानव संसाधन कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
- पेंशन प्रकरण से सम्बन्धित सूचना एवं संविदाकार्मियों से सम्बन्धित सूचना अब प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से hr@ptcul.org में प्रेषित करेंगे।
- पदधारिता विवरण में अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित समस्त सूचना उनका चार्ज सर्टिफिकेट उनकी सर्विस बुक से मिलान करके ही इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
- इसके अतिरिक्त बैठक में यह भी चर्चा हुई कि प्रत्येक माह कतिपय कार्यालय अधीक्षकों/सहायकों द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है अतः समस्त नियंत्रक अधिकारियों से अनुरोध है कि कार्यालय सहायक/अधीक्षकों को बैठक में अवश्यमेव प्रतिभाग करने हेतु अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।


(अजय शर्मा)
लेखाधिकारी


(गिरधारी लाल)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी


(ए०के० जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)